दिनांक 29.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार व सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी कर आभूषण हड़पने की घटना का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

➡ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25,000/- रूपये का नकद पुरस्कार**

बरामदगी का विवरणः-

- 01 जोडी टोप्स पीली धातु,
- 04 जोडी कुण्डल पीली धातु
- 01 चैन पीली धातु
- 01 जोडी हाथ के कंगन पीली धातु
- 02 अगूंठी पीली धातु,
- 02 तमन्चा/04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 02 नाजायज चाकू
- 02 फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल
- घटना में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री (रंग बिरंगे पत्थर आदि)

अवगत कराना है कि दिनाँक 26.10.2024 को वादी श्री राजीव नरुला पुत्र अनिल नरुला निवासी टी -18 हकीकत नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 04 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी की माता श्रीमती सुषमा नरूला से धोखाधडी करके कानो के टोप्स, अगूंठी, कंगन आदि आभूषण ले लेना व मांगने पर वापस न देने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 623/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार व सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी कर आभूषण हड़पने की घटना कारित करने वाले अन्तर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के 04 शातिर **अभियुक्तगण 1. खुर्शीद पुत्र फजलुद्दीन निवासी महमूदपुर घडी सदल्लापुर थाना किठौर जनपद मेरठ, 2. हबीब पुत्र समसुद्दीन निवासी गुल्लर भोज कोपा कपाली थाना गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) , 3. सुहेल खान पुत्र बाबुखान निवासी ठण्डा नाला गुल्लर भोज थाना गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) व 4. मो0 आसिफ पुत्र नियाज अहमद निवासी रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर** को आईटीसी रोड से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशानदेही उपरोक्त घटना से सम्बन्धित शत प्रतिशत हड़पा गया माल (आभूषण), अस्लाह/कारतूस, 02 फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल, घटना मे प्रयुक्त सामग्री व 02 नाजायज चाकू बरामद। **अभियुक्तगण द्वारा जनपद मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद तथा देहरादून की मे कारित घटनाओं से सम्बन्धित माल भी बरामद हुआ है।** गिरफ्तारी व बरामदगी

के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का सक्षिप्त विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हमारे पास दो मोटरसाइकिल है जिसमे से हौंडा साइन आसिफ की तथा प्लेटिना सुहेल कि है, जो इन्होने कुछ दिन पहले ही सेकेंड हेंड खरीदी है जिनकों इन्होने अभी अपने नाम पर नही कराया है हम इन्ही मोटरसाइकिल से आकर घटना करते है तथा हम लोगो का एक संगठित गिरोह है। हमारे गिरोह का मुखिया खुर्शीद पुत्र फजलुद्दीन है। हम लोग गैंग बनाकर शहर तथा देहात क्षेत्र में रास्ते में आने जाने वाली अकेली भोली भाली बुजुर्ग महिलाओं को अपनी बातो मे फसाकर ठगी कर उनसे जेवरात ले लेते है तथा इन सभी घटनाओ में जो जेवरात हमें मिलते है उन जेवरो को बेचकर जो धन इकठ्ठा होता है उसे हम बराबर हिस्सो मे बाट लेते है। घटना कारित करने के लिये मोटरसाइकिलों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चलते है ताकि घटना के बाद हम लोगो को पकड न सके। बरामद आभूषण के बारे मे बताया कि यह सभी आभूषण हमने अलग अलग शहर में महिलाओं से धोखाधड़ी करके ठगे है। हम सभी लोगो ने मिलकर दिनांक 26.10.2024 को सहारनपुर में एक बुजुर्ग महिला को अपनी बातो में फंसाकर उसके आभूषण (02 कंगन (हाथो के), 01 अगूंठी नग लगी हुयी, 01 छोटी चैन व 02 टोप्स कान के) हड़प लिए थे जिनको हमने आपस में बाट लिया था। इसके अलावा हम चारो ने मिलकर इसी महीने की 23 तारीख को विकास नगर देहरादून में एक महिला को अपनी बातो मे फसाकर 01 चैन व 01 अगूठीं हड़प ली थी, इनके अलावा हम लोगो ने मुरादाबाद में एक महिला से 02 कुण्डल, नजीबाबाद बिजनौर में एक महिला से 04 कुण्डल व मेरठ में एक महिला से 02 कुण्ड़ल हड़प लिए थे, जो 08 कुण्डल कानो के आपको हम लोगो के पास से मिले है। उपरोक्त तीनो घटनाओं की दिन तारीख हम लोगो को याद नही है। हम लोगो के पास से जो रंग बिरंगे/स्टोन मिले हैं, हम लोग इन्ही स्टोन का इस्तेमाल करके भोली भाली महिलायों को अपने चुंगल में फंसा लेते है और उनसे गहने व कीमती सामान हड़प लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. खुर्शीद पुत्र फजलुद्दीन नि0 महमूदपुर घडी सदल्लापुर थाना किठौर जनपद मेरठ
2. हबीब पुत्र समसुद्दीन नि0 गुल्लर भोज कोपा कपाली थाना गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड
3. सुहेल खान पुत्र बाबुखान नि0 ठण्डा नाला गुल्लर भोज थाना गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड
4. मौहम्मद आसिफ पुत्र नियाज अहमद नि0 रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

01 जोडी टोप्स (पीली धातु), 03 जोडी कुण्डल (पीली धातु), 01 चैन (पीली धातु), 01 जोडी कडे (पीली धातु), 02 अगूंठी (पीली धातु), 02 तमन्चा 315 बोर, 4 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 नाजायज चाकू, 02 बिना नम्बर की मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त सामग्री

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 मौ0 जहांगीर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
5. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
7. हे0का0 सोनू शर्मा, सर्विलांस सेल सहारनपुर।
8. हे0का0 660 कपिल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
9. है0 का0 753 अमरपाल धीरज थाना सदर बाजार सहारनपुर।
10. का0 283 हिमान्शु थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
11. का0 2293 अंकित यादव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 29.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ लूट की घटनाए कारित करने वाले 01 घायल सहित कुल 03 बदमाश/अभियुक्त गिरफ्तार

बरामदगी का विवरणः-

- **03 तमंचे 315 बोर**
- **03 जिंदा/03 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **01 मोटरसाईकिल (घटना में प्रयुक्त)**
- **01 जोडी कुन्डल कान के (पीली धातु)**

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है।** इसी क्रम में दिनांक 29.10.2024 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक सरसावा व प्रभारी स्वाट टीम मय फोर्स के अलीपुरा व ननवाखेडी पुलिया के पास रजवाहे की पटरी पर गस्त कर रहे थे तभी पुलिस टीम को ग्राम बिडवी की तरफ से अम्बाला सहारनपुर रोड की तरफ एक संदिग्ध मोटरसाईकिल आती दिखायी दी पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियो को रुकने का इशारा किया गया। इस पर मोटरसाइकिल सवार अचानक पुलिस को सामने देखकर हड़बड़ी में मोटरसाईकिल को वापस मौड़ने लगे, जिससे मोटरसाईकिल असन्तुलित होकर जमीन पर गिर गई। मोटरसाईकिल सवार बदमाशो ने पुलिस टीम को नजदीक आता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और फायरिंग करते हुए खेतो की तरफ भागने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी न्यूंनतम फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया व बदमाश के 02 अन्य साथी बदमाशो को घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया, 01 घायल बदमाश सहित सभी तीनो बदमाशो को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश की पहचान **1. दीपक पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है व अन्य दो बदमाशों की पहचान **2. नितिन पुत्र सागर सिंह पाल निवासी मौ0 न्यू प्रकाश लोक कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** व **3.अनुज शर्मा पुत्र नाथी शर्मा निवासी मौ0 न्यू प्रकाश लोक कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** के रुप में हुई है। गिरफ्तार **अभियुक्त दीपक के कब्जे से** 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, **अभियुक्त नितिन से** 01 तमंचा 315 बोर 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर व **अभियुक्त अनुज से** 01 तमंचा 315 बोर 01 जिंदा/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जोडी कान के कुण्डल पीली धातू लूटे गये (सम्बन्धित मु0अ0स0 330/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा), 01 मोटरसाईकिल काली पल्सर रजि न0 (UP11CR3655) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0स0 334/24 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद सहारनपुर के थाना नकुड व थाना सरसावा क्षेत्र मे लूट की कई घटना कारित की गई है। **घायल बदमाश थाना नकुड का हिस्ट्रीशीटर व टॉप-10 अपराधी है।** गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया गया कि हम तीनो नशा करने के आदी है तथा अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिये लूट करते है। अब से करीब 02 महीने पहले हम तीनो ने ग्राम झबीरण मे देशी शराब के ठेके से इन्ही तमन्चो को दिखाकर ठेके के सेल्समैन से एक पर्स जिसमे 15000 हजार रूपये नगद व आधार कार्ड की फोटो काफी थी लूट लिये थे। जिनमे से 5000 रूपये हमने वही पास मे जंगल मे दबा दिये थे ताकि आगे चलकर खर्चे मे काम आ सके शेष 10,000 रूपये हम तीनो ने अपने वकील को देने के लिये रख लिये थे ताकि भविष्य मे कभी पकडे जाने पर हमारा वकील हमे छुडा सके। दिनांक 24.10.2024 को हम लोगो ने तमंचे दिखाकर व डरा धमकाकर सरसावा क्षेत्र मे एक पति-पत्नी जो नकुड से सहारनपुर की तरफ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनसे पीली धातु के कानो के कुन्डल छीन लिये थे। जो तमंचे/कारतूस आपको हम लोगो के पास से मिले है, इन्ही तमंचो का इस्तेमाल करके हम लोगो ने लूट की थी और कड़ी पूछताछ करने पर बताया कि हम लोगो ने अब से करीब 10 दिन पहले भी नकुड क्षेत्र के ग्राम फन्दपुरी के पास एक व्यक्ति से मारपीट करके 5000/- रूपये नगद लूट लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. दीपक पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड सहारनपुर
2. नितिन पुत्र सागर सिंह पाल निवासी मौ0 न्यू प्रकाश लोक कालौनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. अनुज शर्मा पुत्र नाथी शर्मा निवासी मौ0 न्यू प्रकाश लोक कालौनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 03 देशी तमंचे 315 बोर
- 03 जिंदा/03 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाईकिल पल्सर (UP11CR3655)
- 01 जोडी कुन्डल पीली धातु (सम्बन्धित मु0अ0स0 330/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा)

अभियुक्त दीपक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 130/14 धारा 392 /411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 218/15 धारा 394 /411 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
3. मु0अ0स0 242/15 धारा 41/102 सीआरपीसी व 420/411 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
4. मु0अ0स0 382/15 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
5. मु0अ0स0 243/15 धारा 3/25 आर्म्स अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
6. मु0अ0स0 193/16 धारा 392 /411/342 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
7. मु0अ0स0 272/16 धारा 398/401 भादवि थाना कुतबशेर सहारनपुर
8. मु0अ0स0 276/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
9. मु0अ0स0 75/15 धारा 392 /411 भादवि थाना तीतरो सहारनपुर
10. मु0अ0स0 96/17 धारा 380/457/411 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
11. मु0अ0स0 100/17 धारा 307 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
12. मु0अ0स0 101/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
13. मु0अ0स0 76/20 धारा 63 आब0अधि0 थाना नकुड सहारनपुर
14. मु0अ0स0 388/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड सहारनपुर

15.मु0अ0स0 42/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
16.मु0अ0स0 34/23 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर
17.मु0अ0स0 330/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
18.मु0अ0स0 334/24 धारा 109/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर
19.मु0अ0स0 380/24 धारा 309(6)/324(4) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर
20.मु0अ0स0 230/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा

अभियुक्त नितिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 330/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 334/24 धारा 109/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0स0 380/24 धारा 309(6)/324(4) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर
4. मु0अ0स0 230/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा

अभियुक्त अनुज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 33/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 334/24 धारा 109/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0स0 380/24 धारा 309(6)/324(4) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर
4. मु0अ0स0 230/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री संजीव कुमार, प्रभारी स्वाट टीम सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
7. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
8. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
9. हे0का0 अमरदीप स्वाट टीम सहारनपुर।
10. हे0का0 मंदीप स्वाट टीम सहारनपुर।
11. हे0का0 सचिन स्वाट टीम सहारनपुर।
12. का0 अमित स्वाट टीम सहारनपुर।
13. का0 अखिलेश स्वाट टीम सहारनपुर।
14. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
15. का0 1967 अनुज कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
16. का0 07 सुमित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
17. का0 2475 देवेन्द्र शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
18. का0 (चालक) 1497 मोनू कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
19. का0 (चालक) विनीत राणा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 29.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के शिकार हुये व्यक्ति के कराये गये 21606/- रूपये वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 31.08.2024 को शिकायकर्ता तरूण कुमार पुत्र निवासी नन्दपुरी कालौनी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा साइबर हैल्प डैस्क थाना कुतुबशेर पर शिकायत पंजीकृत करायी थी, कि अज्ञात व्यक्ति वादी के साथ धोखाधडी करके 21,606/- रूपये ट्रांसफर करा लिये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर (प्रथम) के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्ट टीम द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित नोडल अधिकारी से समन्व्य स्थापित करते हुये शिकायतकर्ता तरूण कुमार उपरोक्त की धोखाधडी की गयी शत प्रतिशत धनराशि 21,606/- रुपये आज दिनांक 29.10.2024 को वापस कराई गई। शिकायतकर्ता द्वारा धोखाधडी में गई धनराशि वापस कराने पर थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम का आभार प्रकट किया है।

धनराशि को वापस कराने वाली साईबर हेल्पडेस्क टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद स0पुर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार गौर थाना कुतुबशेर जनपद स0पुर
3. कम्प0 ऑप0 अभिषेक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद स0पुर
4. का0 2243 हरिसैन थाना कुतुबशेर जनपद स0पुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः29.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, पुलिस द्वारा नाबालिग युवतियों से छेड़छाड़ व मारपीट के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.10.2024 को वादी द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत 05 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा ट्यूशन पढ़कर आ रही वादी की नाबालिग पुत्री व अन्य 04 नाबालिग युवतियों के हाथ व बाल पकड़कर जबरदस्ती दुकान में अंदर खींचनें व अन्य लड़को द्वारा पीछे से जाकर छेडछाड़ व मारपीट करने, पीडिता द्वारा चिल्लाने पर प्रधान पति राजकुमार द्वारा छुडाने पर उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देते मौके से अपनी मो0सा0 रजि नं0 HR02M2026 को छोड़कर फरार हो जाने के संबंध में दी गयी। इस सूचना पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 386/24 धारा 191(2)/115(2)/296/75/351(3)/127 भा0न्या0सं0 व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम 05 अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 29.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त परवेज पुत्र इरशाद निवासी मौ0 बंजारान कस्बा नकुड जिला सहारनपुर** को कस्बा नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

परवेज पुत्र इरशाद निवासी मौ0 बंजारान कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है0का0 482 बलराम पंवार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 2238 मुकेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 29.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त छम्मन पुत्र कल्लू उर्फ नाजिम निवासी ग्राम मोहउद्दिनपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर को ग्राम मोहउद्दिनपुर के कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 01 नाजायाज चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 279/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

छम्मन पुत्र कल्लू उर्फ नाजिम निवासी ग्राम मोहउद्दिनपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर उम्र करीब 52 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 35/2022 धारा 60 आब0 अधि0 थाना गागलहेडी, सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद चाकू नाजायाज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 50 विशाल मलिक, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0का0 610 विपिन राणा, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 29.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.10.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त साहिल पुत्र मौ0 शफी निवासी शकील तेल वाली गली जनकनगर तकिया थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा वादिया को प्यार मे फंसाकर व बहला फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा वादिया के पिता को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 274/24 धारा 64(1)/351(3) पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामलें में वांछित **अभियुक्त साहिल पुत्र मौ0 शफी निवासी शकील तेल वाली गली जनकनगर तकिया थाना जनकपुरी सहारनपुर** को बसपा कार्यालय के पीछे गली से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साहिल पुत्र मौ0 शफी निवासी शकील तेल वाली गली जनकनगर तकिया थाना जनकपुरी सहारनपुर उम्र 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. का0 2541 जय सिंह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. का0 2487 अनिल कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 29.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिलाओ पर अश्लील फब्तिया कसने वाले 01 मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक देवबन्द के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2024 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा आती जाती महिलाओ को देखकर अश्लील टिप्पणी करने वाले 01 मनचले **अभियुक्त वाशु पुत्र मांगा निवासी मकबरा चौक बाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना देवबंद सहारनपुर** को मंगलौर चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-604/23 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

वाशु पुत्र मांगा निवासी मकबरा चौक बाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना देवबंद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. म0उ0नि0 मनवीरी सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. होमगार्ड 949 दीपक कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3. म0का0 276 अंशिका चौहान थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।